न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर
बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या: 86 / 2021 / दावा

1 भगवानाराम पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी ठेहट तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

— वादी

ब ना म

1 झाबरमल पुत्र चूनाराम

2 विमला देवी पत्नि झाबरमल समस्त जाति बलाई निवासीगण ठेहट तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

3 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

— प्रतिवादीगण

दावा बाबत बेदखली व दिलवाये जाने कब्जा व स्थायी निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ

उपस्थिति—

1. श्री बन्शीधर बाज्या वकील वादी की ओर सें।
2. प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के विरूद्ध एकपक्षिय कार्यवाही की गयी।

दिनांक. — 26.07.2021

निर्णय

1 वादपत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि खातेदारीशुदा भूमि खसरा नम्बर 299 / 1 रकबा 0.2125 है तथा भूमि खसरा नम्बर 1410 / 299 रकबा 0.2125 है0 तन ग्राम ठेहट पटवार हल्का रूपगढ तह0 दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है। उक्त भूमियां वादीकी एकल खातेदारी व कब्जेशुदा भूमियां है। जिनको वादी लगातार निरन्तर व निर्बाध रूप से काबिज होकर उपयोग उपभोग में लेता आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 वादी की भूमियों के सीव जोड़ पडौसी है। वादी दिनांक 20.05.2021 को अपनी भूमियों का संभालने गया तो विवादित भूमियों पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने विवादित भूमियों पर छान झूंपो का निर्माण नाजायज रूप से कर कब्जा कर लिया। जिसका प्रतिवादीगण को कोई कानूनी अधिकार नहीं है। प्रतिवादीगण ने वादी की एकल खातेदारी व कब्जाशुदा भूमियों पर जबरन कब्जा कर लिया। जिससे वादी को भारी असुविधा व अपूर्तनीय क्षति हो

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़

रही है। इसलिए विवादित भूमियों से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा निर्मित किये गये छान झूंपो को हटवाया जाकर व प्रतिवादीगण को बेदखल कर विवादित भूमियों का कब्जा वादी को संभलाया जाना सादर प्रार्थनीय है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने आपस में साज कर रखी है तथा वादी की एकल खातेदारी व कब्जेशुदा भूमियों को जबरन हड़पने की कुचेष्ठा में छान झूपे का निर्माण कर लिया है। प्रतिवादीगण वादी के खातेदारी अधिकारों को चुनौती देने लगे है। प्रतिवादीगण वादी से लड़ाई झगडा कर. एसएसी एसटी एक्ट व बलात्कार के झूठे मुकदमें में फंसाकर जेल भेजने की धमकियां दे रहे है तथा हैरान व परेशान कर वादी की एकल खातेदारी व कब्जेशुदा भूमियों को हड़पना चाहते है। प्रतिवादीगण के मन में बेईमानी आ गई है जिसका प्रतिवादीगण को कोई कानूनी अधिकारी नहीं है। प्रतिवादीगण को वादी की एकल खातेदारी व कब्जेशुदा भूमियों के उपयोग उपभोग में हस्तक्षेप करने वादी को बेदखल कर स्वयं कब्जा करने सीव नीव खुर्द बुर्द करने नव निर्माण करने प्रतिबंधितकिया जाना अति आवश्यक व न्यायोचित है। वाद कारण अर्सा करीब 15 रोज पूर्व प्रतिवादीगण द्वारा विवादित भूमियो में बलात रूप से छान झूंपे का निर्माण कर लेने व विवादित भूमियों को खाली नही करने से वाद कारण उत्पन्न हुआ तब से ही वाद कारण क्षण प्रतिक्षण निरन्तर रूप से जारी है। वादपत्र प्रस्तुत कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर भूमि खसरा नम्बर 299/1 रकबा 0.2125 है तथा भूमि खसरा नम्बर 1410/299 रकबा 0.2125 है0 तन ग्राम ठेहट पटवार हल्का रूपगढ तह0 दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित भूमि में प्रतिवादीगण द्वारा नाजायज रूप से किये गये कब्जे से बेदखल किया जाकर वादी को विवादित भूमियों का कब्जा संभलाया जावे तथा प्रतिवादी संख्या एक व दो को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित फरमाया जावे कि वे वादवर्णित भूमियों की नींव सींव में तोड़-फोड करने, खुर्द-बुर्द करने, बलात् कब्जा

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

करने करवाने मौका व राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन करने करवाने आदि किसी भी रूप में दखलंदाजी करने सें मय नौकर, एजेन्ट आदि सें बाज़ रहे।

2 वादपत्र पेश होने पर प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी बावजुद सूचना के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गयी। वाद पत्र के समर्थन में वादी व गवाह ने साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया। दस्तावेज प्रदर्श संख्या 1 लगांयत 4 कायम किये गये। वाद पत्र पर बहस वकील वादी सुनी गयी।

3 वकील वादी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जामाबन्दी संवत 2076 से 2079 से स्पष्ट है कि वादी एकल खातेदारी भूमियां है। सीमा ज्ञान मौका रिपोर्ट दिनांक 09.06.201 तथा जमाबन्दी संवत 2076 से 2079 के आधार पर वादी का वाद स्वीकार होने योग्य है। अतः वादी का दावा स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि खसरा नम्बर 299/1 रकबा 0.2125 है तथा भूमि खसरा नम्बर 1410/299 रकबा 0.2125 है0 तन ग्राम ठेहट पटवार हल्का रूपगढ तह0 दांतारामगढ जिला सीकर की भूमि में से प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 द्वारा नाजायत रूप से किये गये कब्जे से बेदखल किया जाकर वादी को कब्जा संभलाया जाने के आदेश दिये जाते है। **थानाधिकारी पुलिस थाना दांतारामगढ़ व तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट दांतारामगढ को आदेशित किया जाता है कि आदेश की पालना में वादी की भूमियों से मौके पर भौतिक रुप से प्रतिवादीगण को बेदखल कर उक्त भूमियों का कब्जा एंकाकी रुप से वादी को सुपुर्द करवाकर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें। थानाधिकारी पुलिस थाना दांतारामगढ़ व तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट दांतारामगढ जिला सीकर को आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी हो।**

यह निर्णय आज दिनांक 26.07.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़

अंतिम डिकी व मुकद्में इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D' - 1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ, सीकर
इजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

भगवानाराम बनाम झाबरमल

दावा बाबत बेदखली व दिलवाये जाने कब्जा व स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक. 26.07.2021

मुकदमा नं0 86 / दावा सन् 2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **अशोक कुमार आर.ए.एस** बहाजरी श्री बन्शीधर बाज्या मिनजानिब मुददई पेश होकर हुकम दिया जाता है, कि वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिकी किया जाकर अंतिम डिकी इस प्रकार से जारी की जाती है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 299 / 1 रकबा 0.2125 है तथा भूमि खसरा नम्बर 1410 / 299 रकबा 0.2125 है0 तन ग्राम ठेहट पटवार हल्का रूपगढ तह0 दांतारामगढ जिला सीकर की भूमि में से प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 द्वारा नाजायत रूप से किये गये कब्जे से बेदखल किया जाकर वादी को कब्जा संभलाया जाने के आदेश दिये जाते है। वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिकी किया जाता है। तहसीलदार दांतारामगढ व थानाधिकारी पुलिस थाना दांतारामगढ को निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार निर्णय की पालना कर न्यायायय को पालना सें अवगत करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर सें कम होकर बाद दाखिल दफ्तर हो।

उपरोक्तानुसार अंतिम डिकी जारी किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार दांतारामगढ एवं थानाधिकारी पुलिस थाना दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

बीज .... मुबलिग .... बाबत .... खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 26.07.2021 को जारी की गई।

दस्तखत ओहदा

मोहर

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

	रुपया	पैसे	मुदायलह	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	6	00	स्टाम्प वकालतनामा	1	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	–	–	मेहनताना वकील पर ..		
मेहनताना वकील	–	–	खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–	–	फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर	–	–	बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	–	मुतफर्रिक	0	00
मुतफर्रिक	8	00		0	00
मीजान	15	00	मीजान	1	00

नोटः इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकैन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी,

उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़